



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062021-228015
CG-DL-E-30062021-228015

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]
No. 364]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2021/आषाढ़ 9, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

गृह मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

सा.का.नि. 452(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 621(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में,

(i) पृष्ठ 2 में अनुसूची के स्तम्भ (4) में, “(रू० 50100-177500)” के स्थान पर “(रू० 56100-177500)” पढ़ें;

[फा. सं. 1-3/2017-एनडीआरएफ]

आशिष कुमार सिंह, अवर सचिव

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 2021

सा.का.नि. 453(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 620(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में,

(i) पृष्ठ 11 के नियम 5 में, “शिथिल करने की भाक्ति” के स्थान पर “शिथिल करने की शक्ति” पढ़ें;

(ii) पृष्ठ 16 में अनुसूची के स्तम्भ (11) खंड ख में, “(iv) और (v)” के स्थान पर “(i) और (ii)” पढ़ें।

[फा. सं. 1-3/2017-एनडीआरएफ]

आशिष कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**Corrigendum**

New Delhi, the 30th June, 2021

G.S.R. 454(E)—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide number G.S.R. 621(E) dated the 9th October, 2020* at page 26, in column (12), for blank Space, read “Not applicable”.

[F. No. 1-3/2017-NDRF]

ASHISH KUMAR SINGH, Under Secy.